

प्रश्न सं. [क. 6170]

कार्यालय कलेक्टर भू- अभिलेख जिला श्योपुर (म.प्र.)

क. / 139 / भू. प्र. / वे. वि. / म. टो. / 2012 /

श्योपुर विनं.क. 5/12/12

// आदेश //

आशुवत भू- अभिलेख एवं कदोवस्त म.प्र. ग्वालिगर के पत्र क्रमोंक 1712/11 भू.प्र. / मा. वि. शा. / म. टो. / 2012 ग्वालिगर दिनांक 21.09.2012 के द्वारा निर्देश दिये है कि कलेक्टर को म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के अनुसार मजरे टोलो को राजस्व ग्राम गठन करने के अधिकार है।

जिला श्योपुर में मजरे टोलो को चिन्हांकित कर म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के अनुसार राजस्व ग्राम गठित किये जाते है जो निम्नानुसार है।

क्र.	तहसील का नाम	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मजरे टोलो का नाम
1.	2.	3.	4.
1.	श्योपुर	बगदिया	माधो का डेरा
2.	"	"	दीवानचन्द का डेरा
3.	"	"	तिल्लीडेरा
4.	"	मेवाडा	मेवाडा कछार
5.	"	"	भसुन्दर का टपरा
6.	"	गुरुनाथदा	दौला का पुरा
7.	"	"	शमवाडी
8.	"	प्रमरार	गोधी नगर
9.	बडीदा	उतनराड	कौथ
10.	"	बडीदेया विन्ही	गण्डी
11.	"	रतारन	हीरापुर
12.	कराहल	कलगीककरथा	ककरधा
13.	"	कैलोरा	भोजका
14.	"	"	केरका
15.	"	"	सारसल्ला
16.	"	"	सावडी
17.	विजयपुर	किशनपुरा	गोपलवावडी
18.	"	अगरा	मेघपुरा
19.	"	"	जखीदा
20.	"	रामरीकली	किरवासा
21.	"	बडीदाकली	मानाकापुरा
22.	"	विजयपुर	शिरवारियाकापुरा
23.	"	"	भक्तनाकापुरा
24.	"	दासपुर	पाँथ्यापुरा

25.	विजयपुर	बुढेरा	तेरकापुरा
26.	—	गसदानी	वीरमपुर
योग	04	17	26

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

कलेक्टर
जिला श्योपुर म.प्र.

पृ.क. ४३५५/ भू. प्र./पे.नि./न.टो./2012/

श्योपुर दिनांक ५/१२/१२

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त चम्बल संभाग भुरेना की ओर सूचनार्थ ।
3. उप आयुक्त भू- अभिलेख क्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (सजस्व) अनुविभाग श्योपुर/विजयपुर/ कराहल की ओर सूचनार्थ ।
5. तहसीलदार तहसील श्योपुर/बडौदा/कराहल/विजयपुर/वीरपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला श्योपुर म.प्र.

ग्राम मेवाडा, मेवाडकछार, भसूंदरकाटपरा, गुरूनावदा, दौलाकापुरा, रामवाडी, कलमीककरधा, ककरधा, कैलोर, भोजका, केरका, सारसल्ला, सावडी, बुढेरा, ढेरकापुरा, कुल 15 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर जिला प्रशासन को हस्तान्तरण कर दिये गये हैं, तथा ग्राम बडौदियाविन्दी, मण्डी, अगरा, मेघपुरा, जखोदा, बडौदाकला, मानाकापुरा, कुल 7 ग्रामों का प्रमाणीकरण मार्च 2017 तक कर दिया जायेगा। एवं ग्राम बगदिया, माधोंकाडेरा, दीवानचंदकाडेरा, तिल्लीडेरा, प्रेमसर, गांधीनगर, उत्तनवाड, कौंथ, रतोदन, हीरापुर, किशनपुरा, पीपलबावडी, उमरीकलां, किरवार, विजयपुर, सिस्थरियाकापुरा, मकनाकापुरा, दाऊदपुर, पांच्यापुरा, गसवानी, बीरमपुर, कुल 21 ग्रामों का क्षेत्रीय कार्य प्रचलित है।